प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.10.2025

स्वाट टीम क्राईम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना नंदग्राम पुलिस की संयुक्त कार्यवाही मे अवैध शराब की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 02 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 1.2 लाख रुपये कीमत की अवैध शराब 605 बार कोड लेबल, 185 टवीन टावर वेव ट्रेटा पाउच, 02 दिनांक मुहर मय 02 डेट पैड, 02 फरमा प्लास्टिक मय लकडी गट्टू फरमा, 01 एल्कोहल डिग्री मीटर, 02 प्लास्टिक माप मीटर व 01 सफेद रंग की कार बरामद ।

दिनांकः 19.10.2025 को स्वाट टीम क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना नंदग्राम पुलिस की संयुक्त कार्यवाही मे मुखबिर की सूचना पर राजनगर एक्सटेंशन मे चंडीगड व हरियाणा से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 शातिर तस्करो को अवैध शराब से भरी किया कार के साथ थाना नंदग्राम गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की, किया कार मे चंडीगढ की इम्पीरियल ब्लू व रॉयल ग्रीन ब्राण्ड हरियाणा की अवैध अग्रेजी शराब की तस्करी कर लाई जा रही कुल 15 पेटियाँ बरामद हुई। तस्करी कर लाई जा रही बरामद अवैध शराब की अनुमानित कीमत लगभग 1.2 लाख रू0 है। जो सिर्फ चंडीगढ/हरियाणा मे ही बिक्री हेतु अधिकृत है। किया कार की तलाशी के दौरान शराब की बोतलो पर लगने वाले बार कोड लेवल व टवीन टावर वेव ट्रेटा पाउच (खाली) सैपंल बतौर नमूना, 02 दिनांक मुहर मय 02 डेट पैड, 02 फरमा प्लास्टिक मय लकडी गट्टू फरमा, 01 एल्कोहल डिग्री मीटर, 02 प्लास्टिक माप मीटर भी बरामद हुए है। जिनके संबध मे भी जाँच पडताल करते हुए थाना नंदग्राम पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्तगणो द्वारा बताया गया कि गाजियाबाद के गोविंदपुरम निवासी परमार गर्ग के माध्यम से चडीगढ से अवैध शराब लाकर गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रो मे सप्लाई करते है तथा अभियुक्त दिलीप उर्फ छोटू ने पूछताछ पर यह भी बताया कि वह इस गिरोह का मास्टर माईंड है तथा शराब की मिलावटखोरी मे पहले भी कई बार जेल जा चुका है । आज हम लोग पुलिस से बचबचाकर- रामनिवास के घऱ से शराब बनाने का बाकी बचा हुआ सामान कांसगज लेकर जा रहे थे कि आपने हमे पकड लिया । हम लोग बार कोड लेवल दीपक,निवासी दिल्ली के पास से खरीदते है । गिरफ्तार अभियुक्त दिलीप उर्फ छोटू पर आबकारी के कई मामले पूर्व मे दर्ज है । अभियुक्तगणो के द्वारा पूछताछ पर अपने अन्य साथियो के नाम बताये है जिनके संबध मे जाँच पडताल की जा रही है । उक्त गैंग अवैध शराब तस्करी व शराब बनाने का काम कर मोटा मुनाफा ले रहे है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.दिलीप उर्फ छोटू पुत्र राकेश सिंह उम्र करीब वर्ष निवासी ग्राम गोदंई थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद हाल पता 32 सैक्टर 45 ग्राम छलैरा,शिवमंदिर के पास सम्राट चौक के पास थाना सैक्टर गौतमबुद्धनगर 39

2.रामनिवास शर्मा पुत्र जयभगवान शर्मा उम्र करीब -वर्ष निवासी जे 531002 अजनारा इटर्गिटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नंदग्राम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम तलायत थाना तलायत जिला नरवाणा हरियाणा

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.चंडीगढ/हरियाणा की 15 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (इम्पीरियल ब्लू, रॉयल ग्रीन ब्राण्ड हरियाणा)

2. 02 अदद दिनाँक मुहर मय 02 अदद डेट पैड, 02 अदद फरमा प्लास्टिक मय लकडी गट्टू फरमा, 01 अदद एल्कोहल डिग्री मीटर, 02 अदद प्लास्टिक माप मीटर
3. 605 बार कोड लेबल,185 टवीन टावर वेव ट्रेटा पाउच

आपराधिक इतिहास-

1.**अभियुक्त दिलीप उर्फ छोटू पुत्र राकेश सिंह**

1.मु.अ.सं. 1674/2017 धारा 60/62/72/64 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि थाना क्वारसी जिला अलीगढ।
2. मु.अ.सं. 504/2023 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471/272/273 भादवि थाना अकराबाद जिला अलीगढ।
3. मु.अ.सं. 01/2024 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना अकराबाद जिला अलीगढ।
4. मु.अ.सं. 171/2016 धारा 60/62/63/72 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/470/471/272/273/274 भादवि थाना गभाना जिला अलीगढ।
5. मु.अ.सं. 349/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471/259/272/273 भादवि थाना खैर जिला अलीगढ।
6. मु.अ.सं. 600/2018 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 419/420/467/468//272 भादवि थाना इगलास जिला अलीगढ।
7. मु.अ.सं. 130/2020 धारा 60(2)/72 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471/272/273/307 भादवि थाना लोधा जिला अलीगढ।
8. मु.अ.सं. 165/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 120बी/304/467/468/471/272/273 भादवि थाना लोधा जिला अलीगढ।
9. मु.अ.सं. 162/2015 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 420/120बी भादवि थाना खंदौली जिला आगरा।
10. मु.अ.सं. 308/2025 धारा 317(2)/317(5)/345(3) बी0एन0एस0 व 60/63 आबकारी अधि0 थाना वेव सिटी गाजियाबाद।
11. मु.अ.सं. 660/2025 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना नंदग्राम गाजियाबाद।

2.अभियुक्त रामनिवास शर्मा पुत्र जयभगवान शर्मा

1. मु.अ.सं. 392/2006 धारा 61/78/14 दिल्ली आबकारी अधिनियम थाना नंदनगरी दिल्ली।
2. मु.अ.सं. 308/2025 धारा 317(2)/317(5)/345(3) बी0एन0एस0 व 60/63 आबकारी अधि0 थाना वेव सिटी गाजियाबाद
3. मु.अ.सं.660 /2025 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना नंदग्राम गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
थाना नंदग्राम पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 09.10.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एंजेल मॉल कौशांबी के पास से वादी की मोटर साइकिल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत

अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 19.10.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मैनुअल इनपुट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त राहुल पुत्र श्री सोनू चौधरी हाल निवासी फ्लैट नंबर 731 गंगोत्री टावर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को यशोदा हॉस्पिटल के सामने सर्विस रोड़ कौशाम्बी से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र श्री सोनू चौधरी उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त राहुल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी करता है इसीक्रम में अभियुक्त ने बरामद चोरी की मोटर साइकिल लगभग 12 दिन पहले ही एंजेल मॉल कौशांबी के सामने से चोरी किया था। अभियुक्त चोरी की मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में था कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र श्री सोनू चौधरी हाल निवासी फ्लैट नंबर 731 गंगोत्री टावर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।